

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (साची)
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/04

लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2017

विषय : स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को समयान्तर्गत क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं, कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को आपातकालीन एवं आसाध्य रोगों के सी0जी0एच0एस0 अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को योजनान्तर्गत पंजीकृत करते हुए उनके हेल्थ कार्ड बनाये जाने हैं। लक्षित लाभार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाये जाने से पूर्व उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों (DDO's/STO's) का योजना में पंजीकरण अनिवार्य है।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों (DDO's/STO's) के पंजीकरण हेतु योजना की वेबसाइट-www.upsects.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया का बिन्दुवार विवरण संलग्नक-1 पर अंकित है। पंजीकृत आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों (DDO's/STO's) के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारियों/पेंशनधारकों का योजनान्तर्गत पंजीकरण करते हुए हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य कर्मचारियों/पेंशनधारकों के ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण प्रक्रिया संलग्नक-2 पर अंकित है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा योजना का क्रियान्वयन दिनांक 01 मई, 2017 से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वित होने से पूर्व राज्य के समस्त डी0डी0ओ0/टी0ओ0 का योजनान्तर्गत पंजीकरण हो जाये। इस सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पंजीकरण कार्य में सहायता हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन तैनात किये गये जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर) को डी0डी0ओ0/टी0ओ0 से सम्पर्क करते हुए समयान्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है कि योजना को समय से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से संलग्नकों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों/पेंशनर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इस कार्य में जनपद में तैनात डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर्स का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० ए०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक एवं स्टेट नोडल अधिकारी

तददिनांक।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/

प्रतिलिपि-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत मेसर्स जीम वेंचर्स प्रा० लि० के माध्यम से तैनात किये गये डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर्स को उपरोक्त कार्य हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

1221
21/3/17

उपरोक्तानुसार
आहरण वितरण अधिकारी
को प्रेषित करें।

21/3/17

(डा० ए०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक एवं स्टेट नोडल अधिकारी

महोदय
सर्विष्ठ चिकित्सा
ए वेंचर्स प्रा० लि०
आहरण वितरण अधिकारी
को प्रेषित करें।

21/3/17

